भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2725
दिनांक 17.07.2019/26 आषाढ़, 1941(शक) को उत्तर के लिए

पुलवामा हमले में शहीद हुए सुरक्षा कर्मियों के परिवारों को मुआवजा

2725. श्री संजय सिंहः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या 14 फरवरी, 2019 को पुलवामा हमले में शहीद हुए सुरक्षा कर्मियों के परिवारों को कोई मुआवजा दिया गया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक परिवार को केन्द्र और राज्य द्वारा दी गई राज्य-वार मुआवजा धनराशि कितनी है;
(ग) क्या शहीद सुरक्षाकर्मियों के परिवार के निकटतम सदस्य को सरकारी नौकरी दी गई है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) और (ख): जी, हाँ। पुलवामा हमले में शहीद हुए केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के कार्मिकों के निकटतम संबंधियों (एनओके)/परिवारों को निम्नलिखित मुआवजा/लाभ प्रदान किये गए हैं :-

केन्द्रीय एकमुश्त अनुग्रह मुआवजा के रूप में 35 लाख रु., ड्यूटी वाले राज्य की ओर से अनुग्रह राशि के रूप में 5 लाख रु., सीआरपीएफ के रिस्क फंड से 20 लाख रु., सीआरपीएफ की केंद्रीय कल्याण निधि से 1.5 लाख रु., भारतीय स्टेट बैंक पैरामिलिटरी सैलरी पैकेज (पीएमएसपी) कवर से 30 लाख रु.। इसके अलावा, उन्हें सम्बंधित राज्यों के नियमों के अनुसार गृह राज्यों से भी अनुग्रह राशि प्राप्त हुई है। स्वैच्छिक दाताओं ने भी "भारत के वीर" पोर्टल के माध्यम से योगदान दिया है। इसके अलावा, कुछ राज्यों द्वारा अतिरिक्त मुआवजा दिया गया है, अर्थात गुजरात सरकार द्वारा 10 लाख रु., त्रिपुरा सरकार द्वारा 2 लाख रु. और सिक्किम सरकार द्वारा 3 लाख रु.।

उपर्युक्त लाभ/मुआवजा स्वीकार्य सेवा संबंधी लाभों जैसे कि मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी (डीसीआरजी), सामूहिक बीमा, सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) और केन्द्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियमावली, 1939 के तहत लिबरलाइज्ड पेंशनरी अवार्ड के अतिरिक्त हैं।

(ग) और (घ): जहां तक अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति/सरकारी नौकरी का संबंध है, 08 निकटतम संबंधियों को सरकारी नौकरी प्रदान की गई है, 04 निकटतम संबंधियों के मामले प्रक्रियाधीन हैं, 06 निकटतम संबंधी सीआरपीएफ में नौकरी के लिए अनिच्छुक हैं। 18 मामलों में आश्रित नाबालिग हैं और 4 मामलों में केवल वृद्ध माता-पिता ही उपलब्ध हैं।

****